तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/2024	पत्रावली पेश हुई। बहु. उप. बहस प्रार्थना-पत्र वास्ते सीमाज्ञान व नक्शा दुरूस्तीकरण अन्तर्गत धारा 128, 131 व 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराया गया। प्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे कि प्रार्थी हाल आराजी खसरा नम्बर 518/0.30 वाके ग्राम दयावती तह० नदबई रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी की मेडबंदी करवाई जा रही है जिसमें पडौसी काश्तकारों द्वारा सीमाज्ञान को लेकर विवाद है। प्रार्थी सीमाज्ञान एवं पैमाइश करवाने से पूर्व हाल नक्शा को साबिक की अनुरूप दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 518/0.30 वाके ग्राम दयावती तहसील नदबई को हाल नक्शा साबिक के अनुरूप दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 518/0.30 का सीमाज्ञान कराया जाकर निशानात कायम करते हुए पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अप्रार्थीगणों की ओर तहसीलदार जरिये पैरोकार सरकार को पक्षकार बनाया गया है। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। पैरोकार सरकार की ओर से कथन रहे कि प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं है। मामला सीमाज्ञान, दुरूस्ती से संबंधित है, जिसमें कोई भी पक्ष राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करता है।	

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:51:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी वकील की ओर से प्रार्थना-पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2076-2079, नकल मिलान सेन्फुल, नक्शा ट्रेस, नक्शा साबिक आदि दस्तावेजात अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में पेश किये गये। तहसीलदार नदबई द्वारा अपने पत्रांक 505 दिनांक 28/05/2024 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई गई। हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागणों की बहस को सुना। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र मुताबिक साबिक के हाल नक्शा को दुरुस्त करवाने एवं सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत पेश किया गया है। तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 418 के पडौसी खसरा नम्बर 419, ~~4~~ 421 एवं ~~[illegible]~~ 417 की रकबा गणना मुताबिक जमाबंदी के सही आती है। वर्तमान खसरा नं. 418 का 0.02 है. कम रकबा खन नं. 375 की तरफ गणना करने पर आता है। खसरा नम्बर 375 रकबा 0.27 हैक्टे. गै.मु. पाल दर्ज रिकॉर्ड है। इसके दूसरी तरफ बीहोंत की सीमा प्रारम्भ हो रही है। चुंकि ख.नं. 375 गै.मु. पाल ~~[illegible]~~ दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे हाल नक्शा साबिक के मुताबिक दुरुस्त कराये जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अपना [illegible] असफल रहा है। प्रार्थी का [illegible] बाबत हाल नक्शा ~~मु~~ [illegible] दुरुस्त कराये जाने बाबत [illegible] 136 एल.आर. एक्ट के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] कुमार नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। / [signature] उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:51:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner